an>

Title: Need to implement Uniform Civil Code in the country.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) ः देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर व्यापक चर्चा हो रही है। देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। 21वीं सदी में हमारे यहां मजहब के आधार पर पर्सनल लॉ विद्यमान है। यह एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि दो अलग-अलग कानून भारत के नागरिकों पर लागू है। इससे एक ही देश का नागरिक कानून की दृष्टि से बंटा हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द सदन एक कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े, ताकि हमारे देश के नागरिक एक सूत्र में बंध सके। इससे देश की एकता को बल मिलेगा। आज के दौर में अदालतें भी यह उम्मीद कर रही हैं कि भारतीय संसद जल्दी ही समान नागरिक संहिता लागू करे ताकि फैसलों में भी अनावश्यक देरी नहीं हो तथा धार्मिक कानूनों की आड़ में ऐसे लोग नहीं बचे जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध व्यवहार करते हैं परन्तु कानूनी रूप से अपने आप को सही साबित कर देते हैं।